क्रम० सं०	नाम और वैयक्तिक सं० सर्वशी		पदनाम
10.	आर पी पांडे	(10008)	रिगर
11.	विद्या सिंह	(14796)	एस डब्ल्यू
		दुर्गापुर	
		कार्यपालक	
1.	एस जोगा राव	(00136)	सी एम
2.	एन के सेन	(39018)	एन (एस)
3.	ए दत्ता	(01326)	एन (पुर्चेज)
4.	एस के सरकार	(01001)	व० प्रबंधक (सी)
5.	ए के दत्ता	(01181)	एन (सी)
6.	कामता राय	(60574)	एम एम (पी)
7.	एस ए एन तिवारी	(00397)	व० प्रबंधक (एम)
8.	आर सी गुप्ता	(01274)	व० प्रबंधक (एम)
9.	एस एस पसारी	(03620)	व० एफ एम (सी)
10.	एस सी जाना	(01077)	व० प्रबंधक (सी)
11.	बी भट्टाचर्जी	(04451)	ए एन (एफ)
12.	आर पी सिंह	(40017)	ए एम (एम)
		गैर-कार्यपालक	
1.	जे एन सिंह	(03050)	सीनि० आई एन एस
2.	एस एस सिंह	(02293)	एस/जी
3.	के बहादुर	(20026)	एस/जी
		राउरकेला	
		कार्यपालक	
1.	एम के गुप्ता	(01254)	एस ई (एम)
2.	रामायण पांडे	(03984)	जेड ई (सी)
3.	बी पी रावत	(61088)	उप प्रबंधक
4.	एम बी चटर्जी	(03967)	प्रबंधक
		गैर-कार्यपालक और श्रमिक	
1.	के पीरास्वामी	(66797)	एस ई ओ

बालाघाट स्थित मयाल खानों में इमारती लकड़ी का घोटाला

1319. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मयाल खानों में इमारती लकड़ी का कोई घोटाला हुआ था और क्या क्रेडिट सोसाइटी में श्रमिकों की राशि का कोई गबन भी हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई जांच में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दोनों घोटालों में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

2472/RS/TA

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड (मॉयल) के प्रबन्धन ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1995 में कंपनी को बालाघाट खान में लकड़ी की संभाल में हुई अनियमितताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि मुख्यतः विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी लापरवाही के कारण कंपनी को 85000 रुपए की हानि हुई थी। पूरी तरह से जांच करने के बाद हानि के लिए मूलतः दोषी पाए गए कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को नीचे के ग्रेड में पदावनत कर दंडित किया गया। इसमें शामिल अन्य कर्मचारियों को भी कंपनी के नियमों के अनुसार उचित दण्ड दिया गया।

मॉयल के प्रबंधन ने यह भी बताया है कि कुछ शिकायतों के प्राप्त होने पर प्रबंधन ने बालाघाट में मॉयल के कर्मचारियों की सहकारी ऋण समिति, जो सहकारी ऋण समितियों के रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश सरकार के पास पंजीकृत है, के खातों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था की। वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की रिपोर्ट में किसी के द्वारा किसी गबन को नोट नहीं कही गई है। इसमें बताया गया है कि शेयर धारकों से 9.5 लाख रुपए की वसूली की जानी है। समिति अब ये वसूलियां कर रही है। तथापि, एक कर्मचारी को 1600 रुपये के गबन का दोषी माना गया। नियमानुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और धनराशि वसूल कर ली गई।

Profits/Production at VSP

1320. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether profits and production at Visakhapatnam Steel Plant are below expectations;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total investments made in Visakhapatnam Steel Plant since its inception;

(d) the land in acreage acquired for Visakhapatnam Steel Plant; and

(e) the details of cost-benefit study of this Steel Plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) The profits/loss and production in Visakhapatnam Steel Plant targetted and actuals are as follows:

	1996-97		1997-98	
	MoU Target	Actual (Prov.)	MoU Target	Actual (Prov.)
Net Profit/loss (in crores) (before considering the financial reliefs granted by Government of India)	—272.69	—245.94	—257.33	—419.40
Saleable Steel ('000 tonnes)	2550	2136	2656	2250
Pig Iron ('000 tonnes)	301	647	301	521

(c) The total investments made in VSP since its inception from Government and other resources stood at Rs. 8529 crores (as on 31.3.98).

(d) Land acquired for RINL (VSP) is 21729 acres which includes 1170 acres of land acquired on behalf of Indian Railways for providing Rail facilities to VSP.

2492/RS/98